

**न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ**

**पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलडा (आर०ए०एस०)**

प्रकरण संख्या : 36 / 2024

दायर दिनांक : 12 / 06 / 2024

निर्णय दिनांक : 11 / 07 / 2024

**उनवान**

1. कालूलाल पिता केशु माली निवासी आकोला
2. चांदी बेवा केशु माली निवासी आकोला
3. शंकराबाई पत्नी किशन पूर्बिया निवासी पूर्बियाखेड़ा आकोला
4. बदामी पत्नी गोपीलाल पुर्बिया निवासी पूर्बियाखेड़ा आकोला

**प्रार्थीगण**

**बनाम**

1. गोपीलाल पिता प्रताप पूर्बिया निवासी पूर्बियाखेड़ा आकोला
2. पप्पू सामर पिता विजयसिंह सामर निवासी आकोला
3. ऊंकार पिता प्रताप पूर्बिया निवासी पूर्बियाखेड़ा आकोला
4. केशु पिता थानू पूर्बिया निवासी पुर्बियाखेड़ा आकोला
5. बाबूलाल उर्फ हरीश पिता भैरा माली निवासी पूर्बियाखेड़ा आकोला

**अप्रार्थीगण**

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956**

**: निर्णय :**

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण बाद सूचना उपस्थित नहीं आने से इनके विरुद्ध कार्यवाही एकतरफा की जाती है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार प्रार्थीगण रेकार्डड खातेदार है। अतः प्रार्थना पत्र व रेकार्ड के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500- रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा ग्राम आकोला के खाता सं. 1298 की आ.सं. 531 रकबा 0.23 है., आ.सं. 532 रकबा 0.04 है., आ.सं. 533 रकबा 0.23 है., आ.सं. 534 रकबा 0.09 है., आ.सं. 923 रकबा 0.25 है., आ.सं. 925 रकबा 0.23 है., आ.सं. 930 रकबा 0.38 है., आ.सं. 931 रकबा 0.11 है., आ.सं. 932 रकबा 0.55 है. भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हो। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

(पुनीत कुमार गेलडा)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर  
भूपालसागर

